"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 564] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015 — अग्रहायण 26, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्रमांक-11327/वि. स./विधान/2015 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 31 सन् 2015) जो गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 31 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 47 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 47 की उप-धारा (4) में, शब्द "पांच" के स्थान पर, शब्द "तीन" प्रतिस्थापित किया जाये.

निरसन. 3. छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्र. 2 सन् 2015) को एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य में जिला पंचायत के परिसीमन के पश्चात् जिला एवं जनपद पंचायतों के स्थायी समितियों के गठन में व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं.

अतएव, उक्त कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिये, राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) के प्रावधान में संशोधन करने का विनिश्चय किया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

अजय चंद्राकर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 47 की उपधारा (4) का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 4 की उपधारा (4)

सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में कम से कम पांच सदस्य होंगे जो यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से विहित रीति में, निर्वाचित किये जाएंगे :

परन्तु कोई समिति अधिक से अधिक दो ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी जिन्हें उस समिति को सौंपे गये विषयों का अनुभव या विशेष ज्ञान है, इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति की कार्यवाहियों में मत देने का अधिकार नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि शिक्षा समिति के सदस्यों में कम से कम एक महिला तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.